न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 17/2008

प्रार्थी– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. लेहरों विधवा भंवरा
2. मलवा पुत्र भंवरा
3. उका पुत्र भंवरा
   जाति मेरासी निवासी बिशाला आगोर तहसील बाड़मेर
4. शाखा प्रबंधक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बालोतरा
5. शाखा प्रबंधक थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा बिशाला
   बाड़मेर

रेफरेन्स आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 24.08.79 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 1 से 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 08.03.2023

1. संक्षेप में रेफरेंस आवेदन–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वक्त सेटलमेंट ग्राम बिशाला वर्तमान ग्राम बिशाला आगोर तहसील बाड़मेर में अवस्थित आराजी खसरा संख्या 337 रकबा 56–17 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन नदी राजस्व अभिलेख में [illegible] अधिकारी बाड़मेर के आदेश दिनांक 24.08.79 के जरिये विप्र[illegible] सं 1 से 3 के पति व पिता भंवरा को ग्राम बिशाला [illegible] संख्या [illegible] गैर मुमकिन नदी की उक्त भूमि के सम्बन्ध मे बिना जांच किये 56–17 बीघा भूमि का आ[illegible]कर खातेदारी दर्ज कर दी। इस पर प्रार्थी ने यह रेफरेंस आवेदन–पत्र धारा 82

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर इस आवंटन को गलत बताते हुए आवंटन आदेश दिनांक 24.08.79 को निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल रेफर करने का निवेदन किया। प्रकरण में सुनवाई उपरांत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2011 के द्वारा रेफरेंस प्रार्थना–पत्र अंतिम विनिश्चय हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान जयपुर को अग्रेषित किया गया। माननीय मण्डल की एकल पीठ द्वारा रेफरेंस/एलआर/6044/2011/बाड़मेर सरकार बनाम लहरों में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2016 के द्वारा इस न्यायालय के अनुशंषा आदेश दिनांक 29.07.2011 को अपूर्ण मानते हुए पुनः इस निर्देश के साथ लौटाया गया कि प्रकरण में विधिवत रूप से परीक्षण करावें तथा नये सिरे से मण्डल के विवेचन के परिप्रेक्ष्य में रेफरेंस प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। इस प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम होकर पक्षकारान को सुनवाई एवं पैरवी हेतु तलब किया गया तथा प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर से विवादित भूमि के मौके की वस्तुस्थिति के साथ–साथ समीपस्थ भूमियों के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड तलब किया गया।

2. रेफरेंस आवेदन–पत्र में विप्रार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.05.2011 को जवाब पेश कर जाहिर किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा 30 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जो मयाद बाहर है। तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करवाई है उसमें खसरा संख्या 337 की भूमि में कोई नदी या नाला नहीं है, पथरीली व मगरा है, मौके पर 10 बीघा भूमि पर विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से काश्त की हुई है। विप्रार्थी संख्या 1 से3 के पक्ष में खसरा संख्या 337 की 10 बीघा भूमि का आवंटन श्रीमान परगना अधिकारी बाड़मेर के आदेश से हुआ है तथा उक्त भूमि आवंटन के समय राजस्व रेकर्ड में बारानी दोयम अंकित थी। परगना अधिकारी बाड़मेर द्वारा मौके एवं रेकर्ड की जाँच के पश्चात ही भूमि आवंटित की है। तहसीलदार बाड़मेर भूमिपति है तथा लगभग 30 वर्षों की लम्बी अवधि के पश्चात यह रेफरेंस आवेदन प्रस्तुत किया है जो मयाद बाहर होने से विचारण योग्य नहीं है। इसके उपरांत प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर भी यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होना अभिकथित किया गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि ग्राम बिशाला का खसरा संख्या 337 रकबा 56–17 बीघा वक्ता सेटलमेंट से गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत यह भूमियाँ प्रतिबंधित भूमियाँ हैं जिनकी खातेदारी की घोषणा अथवा आवंटन आदि नहीं किया जा सकता। गैर मुमकिन नदी की भूमि आम जनहित के उपयोग में आती है। उन्होंने तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आरआरटी 2007(1) पेज 01, आरआरटी 2008(1) पेज 511, आरआरटी 2009(2) पेज 1009 एवं डीएनजे 2007(5) 898 के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने से भूमि आवंटन आदेश दिनांक 24.08.79 को गलत एवं अवैध बताते हुए आवंटन निरस्त करने एवं मामला राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का निवेदन किया।

4. विप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवंटन अधिकारियों ने पूर्ण जाँच कर विवादित भूमि दिनांक 24.08.79 का आवंटन कर विप्रार्थीगण के पिता भंवरा को कब्जा सुपुर्द कर दिया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया। 10 वर्षों पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। विप्रार्थी भंवरा को खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात उसे खातेदारी अधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ही समाप्त हो सकते हैं। अब 30 वर्ष बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण जाँच कर नियमानुसार आवंटन किया गया है। सेटलमेंट वालों ने गलत रूप से सम्पूर्ण भूमि को नदी के रूप में दर्ज की है जो गलत है। विप्रार्थीगण गरीब एवं भूमिहीन है तथा इस भूमि के अलावा इनके पास कोई भूमि नहीं है। आवंटित भूमि पर विप्रार्थीगण का रहवास हेतु झोपां, पानी का टांका, मवेशियों का बाड़ा बना हुआ है। अगर विप्रार्थी का आवंटन रद्द किया जाता है [illegible] बेघर हो जावेंगे एवं अपार आर्थिक हानि एवं मानसिक [illegible] भी तर्क दिया कि तहसीलदार बाड़मेर [illegible] 1.2022 में खसरा संख्या 337 के आस–पास [illegible] की किस्म गै0मु0 नदी दर्ज नहीं है तथा वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 337 में न तो कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नदी/नाले का उद्गम हैं और न ही बहाव प्रतीत होता हैं। इसके उपरांत भी प्रार्थी ने यह आवेदन–पत्र 30 वर्षों के पश्चात असाधारण विलम्ब से पेश किया है जो मयाद बाहर है। आरआरटी 2007(1) पेज 18, 2007(2) पेज 1240, 1443 डीएनजे (राज.) 1995 पेज 592, आरआरडी 1997 पेज 195 एवं आरआरटी 2005 पेज 713 के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद बाहर होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

5. हमने दोनों पक्षों के तर्क सुने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीदार बाड़मेर ने यह आवेदन–पत्र धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पति एवं पिता भंवरा को उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा ग्राम बिशाला वर्तमान ग्राम बिशाला आगोर के खसरा संख्या 337 रकबा 56–17 बीघा की विप्रार्थी की खातेदारी से निरस्त कर गैर मुमकिन नदी दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने हेतु पेश किया गया है। रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा बिशाला में अवस्थित भूमि खसरा संख्या 337 रकबा 56–17 बीघा वक्त सेटलमेंट के समय से गैर मुमकिन नदी के रूप में अवश्य दर्ज हैं किन्तु स्वंय प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर ने ही मौके की वस्तुस्थिति एवं उक्त खसरे के आस–पास के खसरों के राजस्व रेकर्ड की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2022 प्रस्तुत करते हुए उल्लेखित किया हैं कि–

4. ....

5. वक्त बन्दोबस्त के दौरान रास्ते से एक ही खसरा दो भागों में विभाजित हो गया जिसमें खसरा नम्बर 187 की किस्म गै.मु. पड़त व खसरा नम्बर 337 की किस्म गै.मु. नदी लिखी गई थी।

6. वक्त बन्दोबस्त से वर्तमान तक उक्त खसरा संख्या 337 के आस–पास लगते किसी भी खसरे की किस्म गै०मु० नदी दर्ज नहीं है।

7. वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 337 में न तो कोई नदी/नाले का उद्गम हैं और न ही बहाव प्रतीत होता हैं।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 21.01.20[illegible] [illegible] स्थिति स्पष्ट हैं कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 337 [illegible] गै.मु. नदी के रूप में किस्म दर्ज हुई [illegible] काश्त भूमि होने से किस्म परिवर्तन उपरांत अप्रार्थी[illegible] को आवंटन की गई हैं। आवंटी द्वारा लगातार इस भूमि पर कब्जा–काश्त रहने एवं निमयानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:23 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

प्रिमियम इत्यादि अदा किये जाने पर गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार सम्पुष्ट किये जा चुके हैं। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में जारी निर्देशों के अनुसरण में प्रस्तुत किया हैं किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विशिष्ठ निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण रेफरेंस योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के फलस्वरूप प्रार्थी का यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में जारी विशिष्ठ निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष रेफरेंस योग्य नहीं होने से इसी प्रक्रम में खारिज किया जाता हैं ।

7. निर्णय आज दिनांक 08.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर
अपर कलक्टर बाड़मेर (बा.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:23 IST
Reason: SelfAttested